मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2005 (श्रावण 5, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा "जिला रीवा अंतर्गत बाढ़ से फसलों को क्षति होने" संबंधी प्रश्न संख्या-5 के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने जिला मुरैना सुमावली के ग्राम लड़वारे का पुरा थाना में बिजली के तार टूटने से दो बैल एक भैंस मर जाने,

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले की नगर पालिका इटारसी में राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत उपरान्त भी कार्य न कराये जाने,

(3) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने विधान सभा जौरा स्थित शालाओं में शिक्षण स्टाफ का अभाव होने,

(4) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकास खंड में सामुदायिक स्वा.केन्द्र में महिला चिकित्सा / डाक्टर एवं एम्बूलेंस की समुचित व्यवस्था न होने,

(5) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य ने इन्दौर पूर्वी रिंग रोड पिपल्याकुमार गांव में 8 मोरों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने,

(6) श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य ने हरदा जिले में खरीफ सोयाबीन फसल इल्लियों के प्रकोप से पूर्ण नष्ट होने एवं मुआवजा राहत राशि न दिये जाने,

(7) श्री दीवानसिंह पटेल, सदस्य ने बड़वानी जिले नाबार्ड योजनान्तर्गत निवाली एवं राजपुर मार्ग की हालत जर्जर होने, तथा

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले मे रबी एवं खरीफ फसलों के लिये डी.ए.पी.खाद समय पर उपलब्ध न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2003-2004 का सैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-2003 से 31-3-2004) तथा वर्ष 2003-2004 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट,1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्ष 2000-2001 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2001),

(3) चौधरी चन्द्रभान सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखे।

(डॉ. सुनीलम् सदस्य द्वारा दमोह जिले के हटा में एक आदिवासियों की हत्या के विरोध में बंद होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर चर्चा न कराने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

4. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

म.प्र. विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च 2003 को यथा पारित मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक,2003 (क्रमांक -22 सन् 2003) के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है,जो इस प्रकार है :-

"मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक -22 सन् 2003) जो कि 28 मार्च 2003 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति हेतु लंबित था। प्रश्नाधीन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय "द्वारा प्रो.यशपाल तथा अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य"(2005 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1168) में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के विपरीत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी "UGC (ESTABLISHMENT OF AND MAINTENANCE OF STANDARDS IN PRIVATE UNIVERSITIES) REGULATIONS,2003 के उल्लंघन में है।

निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक सर्वोपयोगी विधि अधिनियमित करने के स्थान पर, निजी क्षेत्रों से विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रत्येक प्रस्ताव पर परीक्षण उपरांत पृथक विधि अधिनियमित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अधीन में इस विधेयक को विधान सभा के पुनर्विचारण हेतु वापस करता हूं."

हस्ताक्षर /-
बलराम जाखड़
राज्यपाल
मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव (विधान सभा) डॉ.ए.के. पयासी ने मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को यथापारित और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए रूप में मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमाक 22 सन् 2003) को मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम देवरी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा "भिण्ड जिले के ग्राम देवरी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या होने संबंधी" ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने मुरैना स्थित परिवहन जांच चौकी में वाहनों से अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री, परिवहन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर भिण्ड जिले के ग्राम देवरी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या होने के विरोध में नारेबाजी की जाती रही)

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के-

(क) ग्राम बलवन्त के पुरा में प्राथमिक शाला खोले जाने,

(ख) ग्राम मानपुर से चचिहा तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम विसगपुरा में हैण्डपम्प लगाये जाने ; एवं

(घ) ग्राम महिचन्दपुर में विद्युत खम्बों पर तार लगाये जाने,तथा

(2) श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया, सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम लालगढ़ से करमाज खुर्द तक सड़क बनाये जाने ,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

7. वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर,मुख्यमंत्री ने पीथमपुर मे एक हजार करोड़ रूपये की लागत से शुरू होने वाली आटो टेस्टिग ट्रेक परियोजना के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. वर्ष 1990-91 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनाक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 8, 14, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 42, 44, 50,52, 58, 67, 70 तथा 71 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ पांच करोड़, छत्तीस लाख, इक्कीस हजार, तीन सौ एक रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2005 (क्रमांक 12 सन् 2005) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2005 (क्रमांक 12 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

10. वर्ष 1991-92 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनाक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 6, 8, 10, 20, 24, 27, 29, 33, 42, 44, 52, 54, 60 तथा 67 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ अट्ठावन करोड़, चौंतीस लाख, सतानवे हजार, पैसठ रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. वर्ष 1992-93 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनाक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 4, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 34, 42, 44, 45, 47, 53, 54, 58 तथा 67 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ नवासी करोड़, पन्द्रह लाख, इकसठ हजार, पांच सौ छत्तीस रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

14. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज बुधवार,दिनांक 27 जुलाई,2005 को सायं 7.00 बजे से विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिए संगीत संध्या का आयोजन किया गया है,जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री साधना रहटगॉवकर की संगीत प्रस्तुति होगी।

कार्यक्रम के पश्चात् माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों के लिए माननीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा,संस्कृति राज्यमंत्री की ओर से रात्रि भोज भी रखा गया है

आपसे सादर अनुरोध है कि कार्यक्रम एवं रात्रिभोज में उपस्थित होने का कष्ट करें

(12.20 बजे से 2.35 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) श्री इन्द्रजीत कुमार
(4) श्री कृष्ण कुमार सिंह
(5) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(6) डॉ. सुनीलम्
(7) श्री बृजमोहन धूत

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4तथा5 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) डॉ. सुनीलम्
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(8) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(9) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(10) श्री नानालाल पाटीदार
(11) श्री बृजमोहन धूत
(12) श्री रामलखन शर्मा
(13) श्री मनोहर लाल राठौर

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने चर्चा का उत्तर दिया

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5,6,7 तथा 8 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य एवं श्री राम लखन शर्मा ,डॉ. सुनीलम् ,श्रीमती सरोज बच्चन नायक,सदस्य ने शासन द्वारा पंचायत राज के विरूद्ध कार्य करने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2005 (श्रावण 6, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.